

этти

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 341] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 1, 2014/आषाढ़ 10, 1936 No. 341] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 1, 2014/ASHADHA 10, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2014

सा.का.नि. 426(अ). —केन्द्र सरकार, स्वापक औषिध और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा-76 के साथ पिठत धारा 9 द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वापक औषिध और मन: प्रभावी पदार्थ नियमावली, 1985 में संशोधन करने के लिए एतदद्वारा, निम्नलिखित और नियम बनाती है, यथा:-

- 1. (1) इन नियमों का स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ (संशोधन) नियमावली, 2014 कहा जाएगा।
 - (2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।
- 2. स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ नियमावली, 1985 के नियम 37 के उप नियम (1) में "अधिनियम की धारा 2 के खंड (xi) के उप खंड (ख) के अन्तर्गत अधिसूचित निर्मित औषधियों का उत्पादन (जिन्हें यहां औषधि के रूप में संदर्भित किया गया है)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "नियम 36 के उपबंधों के अध्यधीन, अधिनियम की धारा 2 के खंड (xi) के उपखंड (ख) के अन्तर्गत अधिसूचित निर्मित औषधियों का उत्पादन (जिन्हें यहां औषधि के रूप में सदंर्भित किया गया है) लेकिन इसमें ऐसी औषधि शामिल नहीं हैं जिसमें ऐसे पदार्थ से उत्पादित कोई मिश्रित हो जिस पदार्थ को उत्पादक को कानूनी रूप से अपने पास रखने का हकदार हो" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. एन/11011/2/2013- एन सी- II)]

सत्य नारायण दास. अवर सचिव

2680 GI/2014 (1)

टिप्पणी:- प्रधान अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग- II, खंड-3, उपखंड (i) में दिनांक 14 नवम्बर, 1985 की सा.का.िन. संख्या 837 (अ) के अन्तर्गत प्रकाशित की गई थी तथा बाद में दिनांक 26 अक्तूबर, 1992 की अधिसूचना संख्या का आ सं. 786 (अ), 10 अगस्त, 1993 की का.आ. सं. 599(अ), 14 दिसम्बर, 1993 की सा.का. िन. सं. 748 (अ), दिनांक 24 अक्तूबर, 1994 की सा.का.िन. सं. 543, 14 फरवरी, 1995 की सा.का. िन. सं. 82, दिनांक 14 जुलाई, 1995 की सा.का.िन. 556 (अ), दिनांक 12 जनवरी, 1996 की सा.का.िन. सं. 24 (अ), 04 नवम्बर, 1996 की सा.का.िन. 509 (अ), दिनांक 25 जून, 1997 की सा.का. िन. सं. 350 (अ), दिनांक 19 मार्च, 2002 की सा.का.िन. सं. 214 (अ), 14 नवम्बर, 2002 की सा.का.िन. सं. 763 (अ), दिनांक 21 फरवरी, 2003 की सा.का.िन. सं. 115 (अ), दिनांक 26 फरवरी, 2003 की सा.का.िन. सं. 129 (अ), दिनांक 17 मार्च, 2003 की सा.का. िन. सं. 217 (अ), दिनांक 04 फरवरी, 2004 की सा.का.िन. सं. 95 (अ), दिनांक 25 फरवरी, 2005 की सा.का.िन. सं. 104 (अ), दिनांक 22 दिसम्बर, 2005 की सा.का.िन. सं. 736 (अ), दिनांक 13 जक्तूबर, 2006 की सा.का. िन. सं. 639 (अ), दिनांक 01 जनवरी, 2008 की सा.का.िन. सं. 2 (अ), दिनांक 13 जुलाई, 2010 की का.आ. 1661 (अ), दिनांक 11 अप्रैल, 2011 के का.आ. 739 (अ), दिनांक 21 जून, 2011 की सा.का.िन. सं. 470 (अ) और 28 दिसम्बर, 2011 की सा.का.िन. सं. 905 (अ) के अन्तर्गत संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2014

- **G.S.R. 426(E).**—In exercise of the powers conferred by section 9, read with section 76, of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985, namely:—
- (1) These rules may be called the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Amendment)
 Rules, 2014.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985, in rule 37, in sub-rule (1), for the words, brackets and letters "The manufacture of manufactured drugs notified under sub-clause (b) of clause (xi) of section 2 of the Act (hereafter referred to as the drug)", the words, brackets and letters "Subject to the provisions of rule 36, the manufacture of manufactured drugs notified under sub-clause (b) of clause (xi) of section 2 of the Act (hereafter referred to as the drug) but not including preparation containing any manufactured drug from materials which the maker is lawfully entitled to possess" shall be substituted.

[F. No. N/11011/2/2013-NC-II]

SATYA NARAYANA DASH, Under Secy.

Note.— The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 837(E), dated the 14th November, 1985 and subsequently amended vide notifications numbers S.O. 786 (E), dated the 26th October, 1992, S.O. 599 (E), dated the 10th August, 1993, G.S.R. 748 (E), dated the 14th December, 1993, G.S.R. 543, dated the 24th October, 1994, G.S.R. 82, dated the 14th February, 1995, G.S.R. 556 (E), dated the 14th July, 1995, G.S.R. 25 (E), dated the 12th January, 1996, G.S.R. 509 (E), dated the 4th November, 1996, G.S.R. 350 (E), dated the 25th June, 1997, G.S.R. 214 (E), dated the 19th March, 2002, G.S.R. 763 (E), dated 14th November, 2002, G.S.R. 115 (E), dated the 21st February, 2003, G.S.R. 129 (E), dated the 26th February, 2003, G.S.R. 217 (E), dated the 17th March, 2003, G.S.R. 95 (E), dated the 4th February, 2004, G.S.R. 104 (E), dated the 25th February, 2005, G.S.R. 736 (E), dated the 22nd December, 2005, G.S.R. 639 (E), dated the 13th October, 2006, G.S.R. 2 (E), dated the 1st January, 2008, S.O. 1661 (E), dated the 13th July, 2010, S.O. 739 (E), dated the 11th April, 2011, G.S.R. 470(E), dated 21st June, 2011 and G.S.R. 905(E), dated 28th December, 2011.